राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, "पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट 17–18/पार्ट/2017/4363-4906 दिनांक : 31-03-2017

1. **अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),**
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर
2. **समस्त उप महानिरीक्षक,**
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
3. **समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन),**
   राजस्थान

विषय :– राज्य के बजट वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त अधिनियम, 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–3क एवं 3ख में किये गये संशोधन, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में किये गये संशोधनों एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क की दरों में किये गये परिवर्तनों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक एफ.7(39)जन/बजट 17–18/पार्ट/2017/2233–2778 दिनांक 08.03.17 एवं 4252 दिनांक 24.03.17 की निरंतरता में।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3–क में किये गये संशोधन के द्वारा अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा–3 के अधीन शुल्क से प्रभारित समस्त प्रकार के दस्तावेजों पर, आधारभूत अवसंरचनाओं प्रसुविधाओं यथा रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन–उपयोगितओं के विकास और नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के प्रयोजन के लिये प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत तक अधिभार का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार धारा 3–ख में किये गये संशोधन के द्वारा अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा–3 के अधीन शुल्क से प्रभारित समस्त प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत तक, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिये अधिभार का प्रावधान किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 3–क एवं 3–ख में किये गये प्रावधानों की क्रियान्विती के लिये निम्नलिखित अधिसूचनाऐं जारी कर अधिभार की दरें निम्नानुसार अधिसूचित की गई है। यह अधिसूचनाऐं दिनांक 01.04.17 से प्रभावशील की गई है :–

1. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017/129 दिनांक 31.03.17 के द्वारा –

   आधारभूत अवसंरचनाओं प्रसुविधाओं यथा रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन–उपयोगितओं के विकास और नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के प्रयोजन के

लिये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा–3 के अधीन शुल्क से प्रभारित समस्त प्रकार के दस्तावेजों पर, प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत अधिभार की दर अधिसूचित की गई है।

2. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017/130 दिनांक 31.03.17 के द्वारा –

   गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा–3 के अधीन शुल्क से प्रभारित समस्त प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत अधिभार की दर अधिसूचित की गई है।

3. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017/131 दिनांक 31.03.17 के द्वारा –

   अधिनियम की धारा 3–क एवं 3–ख में किये गये संशोधन की क्रियान्विती के लिये राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गये है :–

   i. नियम–26 में संशोधन कर स्टाम्प वेण्डर द्वारा जमा करायी जाने वाली स्टाम्प एवं अधिभार की राशि में से 1 प्रतिशत की दर से पारिश्रमिक काटकर शेष राशि जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

   ii. नियम–29 के पश्चात् नया नियम–29ए जोड़कर अनुज्ञप्तिधारी स्टाम्प वेण्डरों को नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प क्रय करने के लिये जमा करायी गयी अधिभार की राशि पर 1 प्रतिशत डिस्काउंट एवं पारिश्रमिक (Remunaration) दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

   iii. नियम–32 में संशोधन कर स्टाम्प वेण्डरों द्वारा स्टाम्प विक्रय करते समय सरचार्ज की राशि जमा करने के लिये, प्रत्येक स्टाम्प पर, महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अनुमोदित की गई मोहर लगाये जाने का प्रावधान किया गया है।

   iv. विद्यमान नियम–34 में स्टाम्प वेण्डरों के दैनिक स्टाम्प विक्रय के रजिस्टर को संशोधित किया गया है।

   v. नियम–36 के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित किये जाने वाले "फार्म–डी" को संशोधित किया गया है।

समस्त उप महानिरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की उपरोक्त धाराओं में किये गये संशोधन, अधिभार की दर को अधिसूचित करने के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं एवं राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में किये गये संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचनाओं को राज्य सरकार के वित्त (कर) विभाग की वेबसाईट http://www.finance.rajasthan.gov.in/ एवं इस विभाग की वेबसाईट http://www.igrs.rajasthan.gov.in/ पर प्रदर्शित कर दिया गया है, **किन्तु किसी भी प्रकार का संशय होने पर मूल प्रावधान के आधार पर ही उचित कार्यवाही की जावें।** उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी अपने स्तर से भी आपके वृत्त के समस्त उप पंजीयकों को तत्काल भिजवाकर पालना सुनिश्चित करें। इस पत्र के साथ

"पंजीयन भवन", लोहागल–जनाना अस्पताल रोड, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2971201, 2971203, 2971206 फैक्स 2971202 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

उपरोक्त प्रावधानों की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की छायाप्रतियां संदर्भ हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

31-03-2017

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन / बजट 17–18 / पार्ट / 2017 / 4907-5011 दिनांक : 31-03-2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त संशोधन / अधिसूचनाओं के कारण विभाग के सॉफ्टवेयर "ई–पंजीयन" एवं "राजक्रेस्ट" में आवश्यक संशोधन तत्काल करावें तथा उक्त अधिसूचनाओं एवं प्रावधानों तथा निर्देशों को विभाग की वेबसाईट http://www.igrs.rajasthan.gov.in/ पर तत्काल अपलोड करावें।
8. उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5 / कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
10. कन्वीनर, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, होटल रेडीशन ब्लू के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त–जयपुर / जोधपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर
15. निजी सचिव, महानिरीक्षक / निजी सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) एवं (प्रवर्तन) अजमेर
16. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

31-03-2017

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक

"पंजीयन भवन", लोहागल–जनाना अस्पताल रोड, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2971201, 2971203, 2971206 फैक्स 2971202 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in वेबसाईट : http:/igrs.rajasthan.gov.in

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)एफ.डी./टैक्स/11-152 दिनांक 09.03.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा आदेश देती है कि आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन समस्त लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

यह अधिसूचना 01.04.2017 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-129]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ. डी./टैक्स/2016-233 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा आदेश देती है कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन समस्त लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

यह अधिसूचना 01.04.2017 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-130]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-क, 3-ख, 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये दिनांक 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 26 का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 26 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "रेडीमनी का संदाय (इसमें इसके पश्चात् विहित छूट घटाकर)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इन नियमों के अधीन संदेय छूट और पारिश्रमिक को घटाकर, स्टाम्प के मूल्य और स्टाम्प शुल्क पर संदेय अधिभार, यदि कोई हो, की रकम का संदाय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नियम 29क का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 29 के पश्चात् और विद्यमान नियम 30 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 29क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**29क. अधिभार संगृहीत करने के लिये पारिश्रमिक.-** प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकार से न्यायिकेतर स्टाम्पों का क्रय करता है, को उसके द्वारा निक्षिप्त अधिभार की रकम का एक प्रतिशत पारिश्रमिक अनुज्ञात किया जायेगा।"

4. **नियम 32 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 32 में,-
(i) विद्यमान उपबंधों को उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा; और
(ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (2) जोडा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक स्टाम्प विक्रेता, छापित स्टाम्प और आसंजक स्टाम्प (रेवेन्यू स्टाम्प को छोड़कर) की प्रत्येक शीट के मुख पर ऐसे स्टाम्प के विक्रय के समय महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अवधारित प्ररूप में, स्टाम्प शुल्क पर संदेय अधिभार, यदि कोई हो, के संदाय का चिह्न पृष्ठांकित करेगा और नियम 34 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में उसकी प्रविष्टियां करेगा।"

5. **नियम 34 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**34. विक्रयों का रजिस्टर.-** प्रत्येक विक्रेता जनता को विक्रीत स्टाम्पों का निम्नलिखित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा:-

स्टाम्पों के दैनिक विक्रय का रजिस्टर

क्र. सं.	विक्रय की दिनांक	स्टाम्प का विवरण (छापित और आसंजक)	विक्रीत स्टाम्पों का मूल्य (शब्दों में)	अधिभार की रकम		क्रेता का नाम और निवास स्थान	क्रेता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	अनुज्ञप्त विक्रेता के हस्ताक्षर
				धारा 3-क के अधीन	धारा 3-ख के अधीन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

”

6. **प्ररूप ''घ'' का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''घ'' में,-

(i) स्तम्भ संख्यांक 1 से 28 में जहाँ कहीं आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूल्य'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अधिभार की रकम, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मूल्य'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान स्तम्भ संख्यांक 35 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

प्राप्तियों, विक्रयों और अतिशेषों का कुल मूल्य	अधिभार की कुल रकम
35	36

”

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-131]

राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 31.03.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3-A, 3-B, 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Second Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force with effect from 01.04.2017.

2. **Amendment of rule 26.-** In rule 26 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "payment of ready money (less the discount hereinafter prescribed)", the expression "payment of value of the stamps and amount of surcharge, if any, payable on stamp duty, less the discount and remuneration payable under these rules" shall be substituted.

3. **Insertion of rule 29A.-** After the existing rule 29 and before the existing rule 30 of the said rules, the following new rule 29A shall be inserted, namely:-

"**29A. Remuneration for collecting surcharge.-** Every licensed vendor who purchases non-judicial stamps from the Government shall be allowed one percent remuneration of the amount of surcharge deposited by him."

4. **Amendment of rule 32.-** In rule 32 of the said rules,-

(i) the existing provision shall be numbered as sub-rule (1); and

(ii) after the sub-rule (1), so numbered, the following new sub-rule (2) shall be added, namely:-

"(2) Every stamp vendor shall endorse the mark of payment of surcharge payable on stamp duty, if any, in the form determined by the Inspector General of Stamps on the face of each sheet of impressed stamp and adhesive stamp (except revenue stamp) at the time of sale of such stamps and make entries thereof in the register to be maintained under rule 34."

5. **Substitution of rule 34.-** The existing rule 34 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**34. Register of sales.-** Every vendor shall keep a register of stamps sold to the public in the following form:-

REGISTER OF DAILY SALES OF STAMPS

S. No.	Date of sale	Description of stamp (impressed or adhesive)	Value of stamps sold (in words)	Amount of surcharge		Name & residence of the purchaser	Signature or thumb impression of the purchaser	Signature of the licensed vendor
				Under Section 3-A	Under Section 3-B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

"

6. **Amendment of Form "D".-** In Form "D" appended to the said rules,-

(i) for the existing expression "Value" wherever occurring in column number 1 to 28, the expression "Value including the amount of surcharge, if any" shall be substituted; and

(ii) the existing column number 35 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

Total value of receipts, Sales and balances	Total amount of surcharge
35	36

"

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-131]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette along with a soft copy in CD. Kindly send 10 copies of this notification to this department and 20 copies along with bill to Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance), Rajasthan, Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
5. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
6. PS to Pr. Secretary, Law Department.
7. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
8. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Additional Director, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
10. Guard file.

Jt. Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 31.03.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-233 dated 08.03.2016, the State Government hereby orders that surcharge at the rate of ten percent shall be charged on the stamp duty payable on all the instruments under section 3 read with Schedule to the said Act, for the purposes of conservation and propagation of cow and its progeny.

This notification shall have effect from 01.04.2017.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-130]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette along with a soft copy in CD. Kindly send 10 copies of this notification to this department and 20 copies along with bill to Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance), Rajasthan, Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
5. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
6. PS to Pr. Secretary, Law Department.
7. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
8. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Additional Director, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
10. Guard file.

Jt. Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 31.03.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(25)FD/Tax/11-152 dated 09.03.2011, as amended from time to time, the State Government hereby orders that surcharge at the rate of ten percent shall be charged on the stamp duty payable on all the instruments under section 3 read with Schedule to the said Act, for the purposes of the development of basic infrastructure facilities and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

This notification shall have effect from 01.04.2017.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-129]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette along with a soft copy in CD. Kindly send 10 copies of this notification to this department and 20 copies along with bill to Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance), Rajasthan, Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
5. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
6. PS to Pr. Secretary, Law Department.
7. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
8. Director, Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Additional Director, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
10. Guard file.

Jt. Secretary to the Government